जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बारां

ADR सेन्टर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बारां (राज0)

(Phone 07453-294186 Email:- dlsa5baran@gmail.com)

क्रमांक : 4946 दिनांक : 11.12.2024

अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) की नियुक्ति हेतु आम सूचना

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के पत्रांक 20812 दिनांक 22.11.2024 की पालाना में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गये Scheme for ParaLegal Volunteers (Revised) & NALSA (Legal Services Clinisc in Universities, Law Colleges and Other Institutions) Scheme, 2013 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु 38 अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अधिकार मित्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगें अधिकार मित्र विधिक सेवा क्लिनिक का संचालन करेंगे तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थानों के मध्य कड़ी का कार्य करेंगें व अधिकार मित्र को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा अधिकार मित्र की नियुक्ति अधिकतम 01 वर्ष के लिये की जायेगी।

(1) **शैक्षणिक योग्यताः** आवेदक का शिक्षित होना आवश्यक है। वरीयता का आधार आवेदक का दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) **आवेदन पत्रः** इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

(3) **परीक्षाः** आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा व प्रशिक्षण के पश्चात अधिकार मित्र माना जाकर सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा।

(4) **चरित्रः** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(5) **शारीरिक योग्यताः** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिचालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

(6) **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावेः**

1– जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2– शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3– दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4–आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
5–जाति प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति।

(7) **आवेदन की अन्तिम तिथिः** आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दिनांक....18.12.2024...को सायं 5:00 तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की

सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(8) **पात्रताः** अधिकार मित्र चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। अधिकार मित्र के लिये निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हो सकते हैं:–

1. सेवारत एवं सेवानिवृत शिक्षक
2. सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक
3. एम.एस. डबल्यू छात्र/छात्राएं व अध्यापक
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
5. चिकित्सकगण
6. विधि छात्र(जब तक वे अधिवक्ता के तौर पर अपना नामांकन नहीं कराये)
7. गैर राजनीतिक स्वयं सेवा समूह, सेवा हेतु समर्पित एनजीओ एवं क्लब के सदस्यगण
8. महिला संगठनों के कार्यकर्ता, मैत्री संगम
9. पिछड़े तबकों के लिए कार्य कर रहे स्वयं सेवी समूहों के सदस्यगण
10. समाजसेवी व सामाजिक कार्यकर्ता
11. शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो
12. अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे।

चयनित अधिकार मित्र के कर्तव्य (ड्यूटी):

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
2. विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहेगा।
3. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां व रालसा व नालसा द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
4. अधिकार मित्र अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जारकारी देगा, इनका प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा।
5. केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद अधिकार मित्र निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा।
6. प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
7. लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।
8. अधिकार मित्र द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
9. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व भा.ना.सु.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
10. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
11. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां को जानकारी देना।
12. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
13. अधिकार मित्र द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में हाने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।

14. अधिकार मित्र द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
15. अधिकार मित्र द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बारां द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।

(9) **अंतिम तिथिः** आवेदनकर्ता निर्धारित (संलग्न) प्रारूप में आवदेन भरकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां में दिनांक 18.12.2024 सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकते है। आवेदन निःशुल्क होगा।

(10) **स्पष्टीकरणः** चयनित अधिकार मित्र को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा।

(11) नोटः–

निम्नलिखित व्यक्ति अधिकार मित्र हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैः–

1. अधिवक्तागण, राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए व्यक्ति, राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति, एन.जी.ओं. के कार्यकर्ता, किसी अपराध का अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से अधिकार मित्र का कार्य करने में असक्षम हो, ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर अधिकार मित्र स्कीम के हितों को प्रभावित करते हों।
2. अधिकार मित्र की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां के पास सुरक्षित रहेंगें।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

sd/-
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां(राज0)

क्रमांकः 4947 – 4959 दिनांकः 11.12.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां
2. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां
3. नोटिस बोर्ड, जिला कलक्ट्रेट, बारां
4. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, तालुका विधिक सेवा समिति, छबड़ा/अटरू/छीपाबड़ौद/शाहबाद/मांगरोल/अन्ता/किशनगंज
5. नोटिस बोर्ड, जन सूचना सम्पर्क केन्द्र, बारां
6. नोटिस बोर्ड, अभिभाषक संघ बारां
7. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय बारां को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

11/12/24
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां(राज0)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां

अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1– नाम आवेदक :–...

2– पिता/पति का नाम :–...

3– आवेदक के पति/पत्नी का नाम :–...
(यदि विवाहित है तो)
(यदि आवेदक अविवाहित है तो
स्पष्टतः अविवाहित लिखे)

4–जाति :–...

5–संवर्ग–सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./ :–...
अ.पि.व. (जिस संवर्ग से संबंधित हो
वो लिखें)

6–स्थायी पता मय दूरभाष/ :–...
मोबाईल नम्बर

7–वर्तमान पता :–...

8–निकटतम पुलिस स्टेशन :–...

9–जन्म तिथि (अंको में) :–...
(शब्दों में) :–...
वर्तमान आयु :–...

10–शैक्षणिक योग्यता :–...

11–यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी :–...
है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए

12–आवेदक के विरूद्व कोई फौजदारी :–...
प्रकरण लंबित है अथवा नहीं यदि है
तो पूर्ण विवरण

13–राष्ट्रीयता :–...

14–आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, :–...
N.G.O. या किसी विशेष ग्रुप से
जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें

15–यदि आवेदक पी.एल.वी. के रूप :–...
में कार्य कर रहा है/कर चुका
हो, तो उसका विवरण

नोटः– आई.डी. प्रूफ व शैक्षणिक योग्यता हेतु स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं ....सत्यापित करता/करती हू कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है। में किसी भी राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ/जुड़ी हुई नहीं है।

दिनांकः

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)